

डिजिटल भुगतान जागरूकता समाह समारोह के अवसर पर भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर द्वारा संबोधन*

शक्तिकान्त दास

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित डिजिटल भुगतान जागरूकता समाह के अवसर पर यहां उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। इतने वर्षों में हमने न केवल तेजी से विकसित हो रहे प्रौद्योगिकी नवाचारों के बीच से यात्रा की है बल्कि दुनिया में सबसे आधुनिक भुगतान प्रणालियों में से एक को विकसित करने में, फिर चाहे वे बड़े मूल्य, खुदरा या तेज भुगतान हों, प्रेरक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश में उपलब्ध कराई गई विविध भुगतान प्रणालियों, अर्थात् बिल भुगतान, व्यापारिक भुगतान, विक्रेता भुगतान, ट्रांजिट भुगतान या आवर्ती भुगतान के कारण यह संभव हो पाया।

वित्त वर्ष 2012-13 में खुदरा डिजिटल भुगतान 162 करोड़ लेनदेनों से बढ़कर 2023-24 (फरवरी 2024 तक) में 14,726 करोड़ लेनदेनों से अधिक हो गए, यानी 12 वर्षों में लगभग 90 गुना वृद्धि दर्ज हुई। आज विश्व के डिजिटल लेनदेन में भारत का लगभग 46% हिस्सा है (2022 के आंकड़ों के अनुसार)।¹ डिजिटल भुगतान में असाधारण वृद्धि रिज़र्व बैंक के डिजिटल भुगतान सूचकांक में भी स्पष्ट है, जिसमें पिछले पांच वर्षों में चार गुना वृद्धि देखी गई है।

हमारी भुगतान प्रणालियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, 'यूपीआई', न केवल भारत में, बल्कि दुनिया भर में सबसे तेज भुगतान प्रणाली के रूप में सबसे अधिक चर्चा में है। भारत में डिजिटल भुगतान के विकास में इसका सर्वाधिक योगदान है। डिजिटल भुगतान में यूपीआई की हिस्सेदारी 2023 में 80 प्रतिशत के करीब पहुंच गई है। मैक्रो स्तर पर यूपीआई लेनदेनों की मात्रा कैलेंडर वर्ष 2017 के 43 करोड़ से बढ़कर कैलेंडर वर्ष 2023 में 11,761 करोड़ हो गई।

उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस होने और क्यूआर कोड-आधारित भुगतान सुविधायुक्त होने के अलावा यूपीआई को कई

उन्नत सुविधाओं से युक्त बनाया गया है जैसे कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन (एनएफसी) तकनीक (यूपीआई लाइट एक्स) के माध्यम से ऑफलाइन भुगतान, फीचर फोन के माध्यम से भुगतान (यूपीआई 123पे), एआई आधारित संवादी भुगतान (हैलो! यूपीआई), आदि।

यह भी उल्लेखनीय है कि यूपीआई में उत्तरोत्तर अंतिम 1000 करोड़ लेनदेन होने में कम समय लगा है। पहले 1000 करोड़ यूपीआई पी2एम लेनदेन तक पहुंचने में 1668 दिन (~4.56 वर्ष) लगे थे, अंतिम 1000 करोड़ लेनदेन में सिर्फ 45 दिन लगे। इसी तरह पहले 1000 करोड़ यूपीआई पी2पी लेनदेन तक पहुंचने में 1329 दिन (~3.63 वर्ष) लगे, अंतिम 1000 करोड़ लेनदेन में 65 दिन या सिर्फ दो महीने लगे²। इस प्रकार यूपीआई की हालिया प्रगति बहुत अधिक रही है। वर्तमान में यूपीआई के माध्यम से एक दिन में करीब 42 करोड़ लेनदेन हो रहे हैं।

हालांकि भारत में डिजिटल भुगतान के उपयोग के विस्तार के लिए काफी गुंजाइश है। पिछले साल हमने भारत के प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया था - "हर भुगतान डिजिटल"। इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान की आसानी और सुविधा को अधिक बेहतर करते हुए नए उपभोक्ताओं को डिजिटल परिवेश में शामिल करने की सुविधा प्रदान करना था। मार्च 2023 में अभियान की शुरुआत के बाद से 1 मार्च 2023 से 31 जनवरी 2024 के बीच जोड़े गए नए यूपीआई उपयोगकर्ताओं की संख्या 6.65 करोड़ हुई है। रिज़र्व बैंक के पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (पीआईडीएफ) ने भी 1.2 करोड़ से अधिक डिजिटल भुगतान टच पॉइंट्स उपलब्ध कराते हुए इस वृद्धि में योगदान दिया।

डिजिटल भुगतान में विश्वास निर्माण के स्तंभ हैं - पारदर्शिता, उपयोग में आसानी और सबसे बढ़कर है सुरक्षा। इसलिए प्रणाली की संरक्षा और सुरक्षा की धारणा को मजबूत करना बहुत महत्वपूर्ण है। आज के संदेश - "डिजिटल पेमेंट, सेफ पेमेंट" - "डिजिटल भुगतान, सुरक्षित भुगतान" के साथ हम डिजिटल भुगतान की संरक्षा और सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य है प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना और उन्हें आवश्यक ज्ञान और साधनों के साथ सशक्त बनाना ताकि वे इस डिजिटल भुगतान परिवेश में आत्मविश्वास और आसानी के साथ अपने

* 4 मार्च 2024, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

¹ <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1973082>

² 31 दिसंबर 2023 तक डाटा विश्लेषित

लेनदेन कर सकें।

वर्तमान में, रिज़र्व बैंक अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से देश भर में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जागरूकता और प्रशिक्षण (ई-बात, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग) कार्यक्रम आयोजित करता है। ई-बात कार्यक्रम में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों पर जोर दिया जाता है:

- i. डिजिटल भुगतान उत्पादों के बारे में जागरूकता;
- ii. धोखाधड़ी और जोखिम शमन के बारे में जागरूकता; और
- iii. शिकायतों के निवारण के बारे में जागरूकता।

इसके अलावा रिज़र्व बैंक 'आरबीआई सेज़' अथवा 'आरबीआई कहता है' के टैग के अंतर्गत 360 डिग्री, मल्टीमीडिया और प्लेटफार्म आधारित जन जागरूकता अभियान चलाता है। आगे की बात करें तो रिज़र्व बैंक के सभी क्षेत्रीय कार्यालय अपने चुने हुए क्षेत्रों में सब्जी मंडियों/मंडियों जैसे बाज़ारों और ऑटो/टैक्सी चालकों जैसे सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे को डिजिटल रूप से सक्षम क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए क्षेत्रीय अभियान शुरू करेंगे।

ऐतिहासिक रूप से रिज़र्व बैंक डिजिटल भुगतान लेनदेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक प्रमुख भूमिका में रहा है। हम एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन (एएफए) को पूरी तरह से अपनाने वाले पहले देशों में से एक थे। उसके बाद डिजिटल भुगतान की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई उपाय लागू किए गए हैं, जैसे कि - ईएमवी³ चिप और पिन आधारित कार्ड; लेन-देन चेतावनी सूचना; सभी प्रकार के लेनदेन के लिए लेनदेन सीमाओं को चालू और बंद करने और सेट या संशोधित करने की सुविधा; कार्ड टोकनाइजेशन; वास्तविक कार्ड डेटा के भंडारण पर प्रतिबंध; भुगतान डेटा का स्थानीयकरण आदि।

अधिकृत भुगतान प्रणालियों के सभी संचालकों और प्रतिभागियों को विफल हुए लेनदेनों का समयबद्ध ढंग से समाधान करने की आवश्यकता है। ऐसा न करने पर उन्हें उपयोगकर्ताओं को मुआवजा देना पड़ सकता है। इसी तरह हमने भुगतान संबंधी सभी धोखाधड़ियों की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए एक वेब-आधारित भुगतान-संबंधित धोखाधड़ी रिपोर्टिंग

³ ईएमवी यूरोपे, मास्टरकार्ड और वीजा के लिए संक्षेपाक्षर है: तीन कंपनियां, जिन्होंने ईएमवी मानक बनाया।

समाधान - केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री (सीपीएफआइआर) को भी लागू किया है।

इंटरनेट बैंकिंग ऑनलाइन व्यापारिक भुगतान लेनदेन के लिए सबसे पुराने तरीकों में से एक है। यह आयकर, बीमा किश्त, म्यूचुअल फंड भुगतान, ई-कॉमर्स आदि भुगतानों का प्रमुख माध्यम है। वर्तमान में पेमेंट एग्रीगेटर्स (पीए) के माध्यम से संसाधित किए गए ऐसे लेनदेन इंटरऑपरेबल नहीं हैं, अर्थात्, एक बैंक को विभिन्न ऑनलाइन व्यापारियों के प्रत्येक पीए के साथ अलग से जुड़ने की आवश्यकता होती है। नतीजतन, यदि कोई ग्राहक अपने बैंक खाते से किसी व्यापारी को भुगतान करना चाहता है तो इसके लिए व्यापारी के पीए और ग्राहक के बैंक के पास कोई व्यवस्था होनी चाहिए। पेमेंट एग्रीगेटर्स कई हैं। ऐसे में प्रत्येक बैंक के लिए प्रत्येक पीए के साथ जुड़ना मुश्किल है। इसके अलावा भुगतान प्रणाली और इन लेनदेनों के लिए कोई निर्धारित नियम न होने के कारण व्यापारियों को भुगतान की वास्तविक प्राप्ति में और निपटान जोखिमों में देरी होती है।

इन बाधाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे पेमेंट विज़न 2025 में हमने इंटरनेट बैंकिंग लेनदेन के लिए एक अंतर-संचालित भुगतान प्रणाली की परिकल्पना की थी। इस उद्देश्य के अनुसरण में हमने एनपीसीआई भारत बिलपे लिमिटेड (एनबीबीएल) को इस तरह की एक इंटरऑपरेबल प्रणाली को लागू करने के लिए मंजूरी दे दी है। हम चालू कैलेंडर वर्ष के दौरान इंटरनेट बैंकिंग के लिए इस इंटरऑपरेबल भुगतान प्रणाली के शुरू होने की उम्मीद करते हैं। नई प्रणाली व्यापारियों के लिए धन के त्वरित निपटान की सुविधा प्रदान करेगी।

यह कदम डिजिटल भुगतान में उपयोगकर्ता के विश्वास को बढ़ाएगा। एक विनियामक के रूप में हम डिजिटल भुगतान में भारत की यात्रा में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं उद्योगक्षेत्र, भुगतान प्रणाली संचालकों, प्रसार माध्यमों, डिजिटल भुगतान उपयोगकर्ताओं और अन्य सभी हितधारकों से 'हर पेमेंट डिजिटल' के मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी लेने का आग्रह करता हूँ। यह सिर्फ रिज़र्व बैंक के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक मिशन है।

धन्यवाद, नमस्कार

⁴ भुगतान से संबंधित सभी धोखाधड़ियां जो ग्राहक, जारीकर्ता बैंक / गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता / गैर-बैंक क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता [इन्हें एक साथ विनियमित संस्थाएं (आरई) कहा जाता है] द्वारा रिपोर्ट की जाती हैं या स्वयं आरई द्वारा पता लगाया गया है, सीपीएफआइआर को रिपोर्ट किया जाना आवश्यक है।